

बिहार सरकार नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

जय प्रकाश मंडल,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

नगर आयुक्त,

नगर निगम- बिहारशरीफ, आरा, गया, मुंगेर, छपरा, बेगूसराय, पूर्णियाँ एवं कटिहार।

कार्यपालक पदाधिकारी,

नगर परिषद्- बाढ़, खगौल, दानापुर, मोकामा, मसौढ़ी, फुलवारीशरीफ, बख्तियारपुर, फतुहा, जुमरौव, सासाराम, डेहरी डालमियानगर, विक्रमगंज, भभुआ, हिलसा, जहानाबाद, अरवल, औरंगाबाद, दाउदनगर, नवादा, सुल्तानगंज, बाँका, जमालपुर, लखीसराय, शेखपुरा, बरबीघा, जमुई, हाजीपुर एवं मधेपुरा।

कार्यपालक पदाधिकारी,

नगर पंचायत- मनेर, खुशरूपुर, विक्रम, नौबतपुर, पीरो, बिहियाँ, जगदीशपुर, कोईलवर, शाहपुर, कोआथ, नोखा, नासरीगंज, कोचस, मोहनियाँ, इस्लामपुर, सिलाव, राजगीर, बोधगया, शेरघाटी, टेकारी, मखदुमपुर, रफीगंज, नवीनगर, वारसलीगंज, हिसुआ, नवगछिया, कहलगॉव, अमरपुर, हवेली खड़गपुर, बड़हिया एवं झांझा।

पटना, दिनांक- 20/03/19

विषय:- चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में राज्य के विभिन्न नगर निकायों के बकाए विद्युत विपत्रों के भुगतान हेतु तृतीय अनुपूरक आगणन से प्राप्त कुल ₹10000.00 लाख (सौ करोड़ रु०) मात्र का आवंटन।

आदेश:- स्वीकृत।

राज्य के नगर निकायों में स्ट्रीट लाईट, ड्रेनेज पम्पिंग प्लांट, जलापूर्ति, पार्कों में लाईट, बोरिंग इत्यादि यंत्रों पर विद्युत की खपत होती है तथा इसके लिए उन्हें विद्युत विपत्र प्राप्त होते हैं। नगर निकायों द्वारा विद्युत विपत्रों का भुगतान अपने आंतरिक संसाधन, 14वें वित्त आयोग तथा पंचम राज्य वित्त आयोग के अनुदान निधि से किया जाता है।

2. नगर निकायों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ नहीं होने के कारण विद्युत विपत्रों का भुगतान लंबित रह जाता है। वित्तीय वर्ष 2014-15 में नगर निकायों के विद्युत विपत्रों के बकाए भुगतान हेतु केन्द्रीयकृत रूप से ₹442.31 करोड़ ऊर्जा विभाग को उपलब्ध कराया गया। ऊर्जा विभाग के राज्यादेश सं०- 864, दिनांक- 18.03.2015 द्वारा उक्त राशि की निकासी कर दक्षिण बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लि० (SBPDCL) तथा उत्तर बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लि० (NBPDCCL) को क्रमशः ₹386.72 करोड़ तथा ₹55.59 करोड़ की राशि उपलब्ध कराई गई। उक्त राशि से नगर निकायों के दिनांक- 31.03.2015 तक के बकाए विद्युत विपत्रों का समायोजन किया गया तथा उक्त तिथि को SBPDCL का नगर निकायों पर ₹37.16 करोड़ तथा NBPDCCL का नगर

निकायों पर ₹6.66 करोड़ अर्थात् कुल ₹43.82 करोड़ (तेतालीस करोड़ बेरासी लाख रु०) बकाया लम्बित रहा।

3. विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा दिनांक- 01.04.2015 को पाए गए उक्त बकाए को जोड़कर आगे के विद्युत विपत्रों की गणना की गई एवं नगर निकायों से बकाए विद्युत विपत्रों के भुगतान का अनुरोध किया गया। नगर निकायों द्वारा अपने संसाधनों, 14वें वित्त आयोग तथा पंचम् राज्य वित्त आयोग की राशि से विद्युत विपत्रों का भुगतान किया जाता रहा। नगर निकायों के विद्युत कम्पनियों पर होल्डिंग टैक्स के समायोजन के बावजूद बकाए विद्युत विपत्रों की राशि बढ़ती गई।

4. नगर निकायों एवं विद्युत कम्पनियों के बीच विद्युत विपत्रों तथा होल्डिंग टैक्स के निर्धारण में विवाद होने के कारण मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में दिनांक- 01.12.2017 को बैठक आयोजित किया गया। बैठक में लिया गया निर्णय निम्नवत् है :-

“वित्तीय वर्ष 2017-18 में राज्य के सभी नगर निकाय, दोनों विद्युत वितरण कम्पनियों के सभी विद्युत कनेक्शन के चालू विद्युत विपत्र का भुगतान करेंगे। विद्युत विपत्र भुगतान हेतु राशि की अनुपलब्धता रहने पर नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा अतिरिक्त बजट का प्रावधान कराने हेतु वित्त विभाग से माँग की जाएगी।”

5. उक्त निर्णय के आलोक में वित्तीय वर्ष 2017-18 में तृतीय अनुपूरक आगणन से ₹81.00 करोड़ (एकासी करोड़ रु०) मात्र प्राप्त करते हुए दिनांक- 31.03.2015 तक समायोजन के पश्चात् अवशेष बकाए विद्युत विपत्रों के भुगतान हेतु विभागीय राज्यादेश सं०- 165, दिनांक- 28.03.2018 द्वारा स्वीकृत करते हुए आवंटनादेश सं०- 166, दिनांक- 28.03.2018 द्वारा आवंटित की गई।

6. चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में निदेशक (प्रशासन), बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड के पत्रांक- 550, दिनांक- 19.03.2019 द्वारा राज्य के विभिन्न नगर निकायों में दिनांक- 28.02.2019 तक के बकाए विद्युत विपत्र के रूप में कुल ₹55357.00 लाख (पाँच सौ तिरपन करोड़ संतावन लाख रु०) मात्र उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है, जिसमें से दक्षिण बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड का बकाया ₹42747.00 लाख उत्तर बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड का बकाया ₹12610.00 लाख प्रतिवेदित किया गया है।

7. चूँकि नगर निगम, पटना एवं मुजफ्फरपुर में बकाए विद्युत विपत्र तथा विद्युत कम्पनियों पर बकाए होल्डिंग टैक्स की राशि की जाँच चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा की गई है, जिसपर अलग से कार्रवाई की जा रही है। इसलिए नगर निगम, पटना एवं मुजफ्फरपुर के बकाए विद्युत विपत्रों पर विचार नहीं किया जा रहा है।

8. तदनुसार उक्त वर्णित स्थिति एवं निदेशक (प्रशासन), बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड द्वारा किए गए अनुरोध एवं विभागीय राज्यादेश सं०-174 दिनांक-30-3-19 के आलोक में चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में तत्काल तृतीय अनुपूरक आगणन से प्राप्त ₹10000.00 लाख (सौ

3

करोड़ रु०) मात्र राज्य के विभिन्न नगर निकायों के बकाए विद्युत विपत्रों के भुगतान हेतु निम्न तालिका के स्तम्भ- 4 के अनुरूप निम्नवत् आवंटित की जाती है :-

दक्षिण बिहार पावर डिस्ट्रिब्यूशन कम्पनी लिमिटेड

(राशि रुपये में)

क्र० सं०	नगर निकाय का नाम	दिनांक- 28.02.2019 तक बकाए विद्युत विपत्र की राशि	तत्काल आवंटित कुल बकाए विद्युत विपत्र की राशि
1	2	3	4
1	बिहारशरीफ नगर निगम	3,54,06,419.00	3,54,06,419.00
2	आरा नगर निगम	28,71,233.00	28,71,233.00
3	गया नगर निगम	7,87,38,618.00	7,87,38,618.00
4	मुंगेर नगर निगम	2,57,18,154.00	2,57,18,154.00
5	नगर परिषद बाढ़	1,56,47,000.00	1,56,47,000.00
6	नगर परिषद खगौल	3,09,00,060.00	3,09,00,060.00
7	नगर परिषद दानापुर	4,28,62,016.00	4,28,62,016.00
8	नगर परिषद मोकामा	6,21,402.00	6,21,402.00
9	नगर परिषद मसौढ़ी	65,10,809.00	65,10,809.00
10	नगर परिषद फुलवारीशरीफ	5,13,77,037.00	5,13,77,037.00
11	नगर परिषद बख्तियारपुर	2,98,434.00	2,98,434.00
12	नगर परिषद फतुहा	7,68,669.00	7,68,669.00
13	नगर परिषद डुमराँव	95,06,048.00	95,06,048.00
14	नगर परिषद सासाराम	4,88,22,529.00	4,88,22,529.00
15	नगर परिषद डेहरी डालमियानगर	7,92,892.00	7,92,892.00
16	नगर परिषद विक्रमगंज	43,74,289.00	43,74,289.00
17	नगर परिषद भभुआ	45,06,000.00	45,06,000.00
18	नगर परिषद हिलसा	63,62,924.00	63,62,924.00
19	नगर परिषद जहानाबाद	29,39,761.00	29,39,761.00
20	नगर परिषद अरवल	33,51,901.00	33,51,901.00
21	नगर परिषद औरंगबाद	2,74,96,616.00	2,74,96,616.00
22	नगर परिषद दाउदनगर	10,31,573.00	10,31,573.00
23	नगर परिषद नवादा	21,05,357.00	21,05,357.00
24	नगर परिषद सुल्तानगंज	47,90,997.00	47,90,997.00
25	नगर परिषद बोका	1,63,78,188.00	1,63,78,188.00
26	नगर परिषद जमालपुर	31,64,251.00	31,64,251.00
27	नगर परिषद लखीसराय	61,33,000.00	61,33,000.00
28	नगर परिषद शेखपुरा	1,21,70,186.00	1,21,70,186.00
29	नगर परिषद बरबिघा	4,59,628.00	4,59,628.00
30	नगर परिषद जमुई	45,70,449.00	45,70,449.00
31	नगर पंचायत मनेर	4,19,141.00	4,19,141.00
32	नगर पंचायत खुसरूपुर	52,90,706.00	52,90,706.00
33	नगर पंचायत विक्रम	16,82,375.00	16,82,375.00
34	नगर पंचायत नौबतपुर	7,01,825.00	7,01,825.00
35	नगर पंचायत पिरो	53,94,340.00	53,94,340.00
36	नगर पंचायत बिहियाँ	1,99,93,193.00	1,99,93,193.00
37	नगर पंचायत जगदीशपुर	90,16,044.00	90,16,044.00
38	नगर पंचायत कोईलवर	1,38,24,440.00	1,38,24,440.00
39	नगर पंचायत शाहपुर	66,20,263.00	66,20,263.00
40	नगर पंचायत कोआथ	10,40,351.00	10,40,351.00

6

41	नगर पंचायत नोखा	13,47,432.00	13,47,432.00
42	नगर पंचायत नासरीगंज	1,53,79,328.00	1,53,79,328.00
43	नगर पंचायत कोचस	22,19,053.00	22,19,053.00
44	नगर पंचायत मोहनियाँ	13,58,500.00	13,58,500.00
45	नगर पंचायत इस्लामपुर	8,58,286.00	8,58,286.00
46	नगर पंचायत सिलाव	94,84,202.00	94,84,202.00
47	नगर पंचायत राजगीर	3,54,07,737.00	3,54,07,737.00
48	नगर पंचायत बोधगया	10,98,95,825.00	10,98,95,825.00
49	नगर पंचायत शेरघाटी	22,27,568.00	22,27,568.00
50	नगर पंचायत टेकारी	18,31,849.00	18,31,849.00
51	नगर पंचायत मखदुमपुर	25,39,866.00	25,39,866.00
52	नगर पंचायत रफीगंज	15,54,935.00	15,54,935.00
53	नगर पंचायत नवीनगर	1,51,779.00	1,51,779.00
54	नगर पंचायत वारसलीगंज	20,86,844.00	20,86,844.00
55	नगर पंचायत हिसुआ	13,89,920.00	13,89,920.00
56	नगर पंचायत नवगछिया	50,96,603.00	50,96,603.00
57	नगर पंचायत कहलगाँव	2,56,41,449.00	2,56,41,449.00
58	नगर पंचायत अमरपुर	5,44,609.00	5,44,609.00
59	नगर पंचायत हवेली खडगपुर	45,63,823.00	45,63,823.00
60	नगर पंचायत बड़हिया	48,40,000.00	48,40,000.00
61	नगर पंचायत झांझा	1,03,31,907.00	1,03,31,907.00
योग (क)		75,34,10,633.00	75,34,10,633.00

उत्तर बिहार पावर डिस्ट्रिब्यूशन कम्पनी लिमिटेड

क्र० सं०	नगर निकाय का नाम	दिनांक- 28.02.2019 तक बकाए विद्युत विपत्र की राशि	तत्काल आवंटित कुल बकाए विद्युत विपत्र की राशि
1	2	3	4
1	नगर निगम, छपरा	2,43,89,159.00	2,43,89,159.00
2	नगर निगम, बेगूसराय	22,43,470.00	22,43,470.00
3	नगर निगम, पूर्णियाँ	3,13,73,011.00	2,74,96,536.00
4	नगर निगम, कटिहार	4,43,04,064.00	4,43,04,064.00
5	नगर परिषद्, हाजीपुर	12,63,94,390.00	12,63,94,390.00
6	नगर परिषद्, मधेपुरा	2,17,61,748.00	2,17,61,748.00
योग (ख)		25,04,65,842.00	24,65,89,367.00
योग (क+ख)		1,00,38,76,475.00	1,00,00,00,000.00

अर्थात् कुल आवंटित राशि ₹10000.00 लाख (सौ करोड़ रु०) मात्र।

9. उक्त आवंटित ₹10000.00 लाख (सौ करोड़ रु०) मात्र के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी नगर आयुक्त, संबंधित नगर निगम/कार्यपालक पदाधिकारी, संबंधित नगर परिषद् एवं संबंधित नगर पंचायत होंगे, जिनके द्वारा वित्त विभाग के परिपत्र सं०- 2561, दिनांक-17.04.98, पत्रांक- 354, दिनांक- 28.03.2018, पत्रांक- 662, दिनांक- 02.08.2018 एवं पत्रांक- 257, दिनांक- 26.02.2019 (तृतीय अनुपूरक) में निहित अनुदेशों के आलोक में की जायेगी। नगर आयुक्त, संबंधित नगर निगम/कार्यपालक पदाधिकारी, संबंधित नगर परिषद् एवं संबंधित नगर पंचायत द्वारा निकासी के उपरांत राशि का हस्तांतरण संबंधित विद्युत प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता को ड्राफ्ट/RTGS

के माध्यम से हस्तांतरित कर दी जायेगी। राशि की निकासी किसी भी परिस्थिति में AC विपत्र पर नहीं की जायेगी।

10. निकासी के उपरांत राशि का संधारण पी०एल० खाता में किया जाएगा। तदोपरांत विभागीय पत्रांक- 1820, दिनांक- 29.03.2019 के आलोक में बकाए विद्युत विपत्रों के जाँचोपरांत विद्युत कम्पनियों को भुगतान किया जाएगा।


11. उपर्युक्त आवंटित राशि जिस मद में आवंटित है, उसी मद में व्यय होगी। किसी भी परिस्थिति में विचलन द्वारा अन्य मद में व्यय नहीं की जायेगी।

12. आवंटित राशि की निकासी स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अंतर्गत माँग सं०- 48, मुख्य शीर्ष- 2217-शहरी विकास, उपमुख्य शीर्ष- 80-सामान्य, लघु शीर्ष- 191-नगर निगम को सहायता, उप शीर्ष- 0003-नगर निगम के जिम्मे बकाए विद्युत विपत्र के भुगतान हेतु सहायक अनुदान, विपत्र कोड सं०- 48-2217801910003 विषय शीर्ष- 0003.31.06 सहायक अनुदान-गैर वेतन मद से तृतीय अनुपूरक आगणन से प्राप्त बजट उपबंध से की जाएगी।

13. आवंटित राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित नगर निकायों के कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा विहित प्रपत्र- 42A में अन्य संबंधित कागजातों सहित विभाग को उपलब्ध कराया जाएगा।

14. इसकी सूचना महालेखाकार, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, ऊर्जा विभाग/वित्त (बजट शाखा) विभाग/प्रबंध निदेशक, साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड एवं नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड/निदेशक (प्रशासन), बिहार स्टेट पावर (होल्टिंग) कम्पनी लिमिटेड/कोषागार पदाधिकारी, संबंधित कोषागार एवं विभागीय निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, को भी दी जा रही है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,




सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक-2ब०/बजट-14-16/14 135 /न०वि० एवं आ०वि०, पटना, दिनांक-20/03/19

प्रतिलिपि:- महालेखाकार, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, ऊर्जा विभाग/वित्त (बजट शाखा) विभाग, पटना/कोषागार, पदाधिकारी, संबंधित कोषागार/निदेशक (प्रशासन), बिहार स्टेट पावर (होल्टिंग) कम्पनी लिमिटेड/प्रबंध निदेशक, साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड एवं नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड/स्थानीय लेखा परीक्षक, पटना/आई०टी० प्रबंधक, नगर विकास एवं आवास विभाग/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा- 02 एवं 07, नगर विकास एवं आवास विभाग/कार्यवाहक सहायक को 2 प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. कोषागार पदाधिकारी से अनुरोध है कि आवंटित राशि से अधिक की निकासी किसी भी हालत में नहीं होने दी जाय।



सरकार के विशेष सचिव।

* ई-मेल
स्पीड पोस्ट/निबधित
डाक

पत्रांक-2ब०/बजट-14-16/14 174

/न०वि०एव०आ०वि०

बिहार सरकार नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

जय प्रकाश मंडल,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं ह०),
बिहार, पटना।

* अनौपचारिक
रूप से परामर्शित

* द्वारा-आन्तरिक वित्तीय सलाहकार

पटना, दिनांक-30/02/19

विषय:- चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में राज्य के विभिन्न नगर निकायों के बकाए विद्युत विपत्रों के भुगतान हेतु तृतीय अनुपूरक आगणन से प्राप्त कुल ₹10000.00 लाख (सौ करोड़ रु०) मात्र की स्वीकृति।

आदेश:- स्वीकृत।

राज्य के नगर निकायों में स्ट्रीट लाईट, ड्रेनेज पम्पिंग प्लांट, जलापूर्ति, पार्कों में लाईट, बोरिंग इत्यादि यंत्रों पर विद्युत की खपत होती है तथा इसके लिए उन्हें विद्युत विपत्र प्राप्त होते हैं। नगर निकायों द्वारा विद्युत विपत्रों का भुगतान अपने आंतरिक संसाधन, 14वें वित्त आयोग तथा पंचम राज्य वित्त आयोग के अनुदान निधि से किया जाता है।

2. नगर निकायों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ नहीं होने के कारण विद्युत विपत्रों का भुगतान लंबित रह जाता है। वित्तीय वर्ष 2014-15 में नगर निकायों के विद्युत विपत्रों के बकाए भुगतान हेतु केन्द्रीयकृत रूप से ₹442.31 करोड़ ऊर्जा विभाग को उपलब्ध कराया गया। ऊर्जा विभाग के राज्यादेश सं०- 864, दिनांक- 18.03.2015 द्वारा उक्त राशि की निकासी कर दक्षिण बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लि० (SBPDCL) तथा उत्तर बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लि० (NBPDCL) को क्रमशः ₹386.72 करोड़ तथा ₹55.59 करोड़ की राशि उपलब्ध कराई गई। उक्त राशि से नगर निकायों के दिनांक- 31.03.2015 तक के बकाए विद्युत विपत्रों का समायोजन किया गया तथा उक्त तिथि को SBPDCL का नगर निकायों पर ₹37.16 करोड़ तथा NBPDCL का नगर निकायों पर ₹6.66 करोड़ अर्थात् कुल ₹43.82 करोड़ (तेतालीस करोड़ बेरासी लाख रु०) बकाया लम्बित रहा।

3. विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा दिनांक- 01.04.2015 को पाए गए उक्त बकाए को जोड़कर आगे के विद्युत विपत्रों की गणना की गई एवं नगर निकायों से बकाए विद्युत विपत्रों के भुगतान का अनुरोध किया गया। नगर निकायों द्वारा अपने संसाधनों, 14वें वित्त आयोग तथा पंचम राज्य वित्त आयोग की राशि से विद्युत विपत्रों का भुगतान किया जाता रहा। नगर निकायों के विद्युत कम्पनियों पर होल्लिडिंग टैक्स के समायोजन के बावजूद बकाए विद्युत विपत्रों की राशि बढ़ती गई।

4. नगर निकायों एवं विद्युत कम्पनियों के बीच विद्युत विपत्रों तथा होल्डिंग टैक्स के निर्धारण में विवाद होने के कारण मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में दिनांक- 01.12.2017 को बैठक आयोजित किया गया। बैठक में लिया गया निर्णय निम्नवत् है :-

“वित्तीय वर्ष 2017-18 में राज्य के सभी नगर निकाय, दोनों विद्युत वितरण कम्पनियों के सभी विद्युत कनेक्शन के चालू विद्युत विपत्र का भुगतान करेंगे। विद्युत विपत्र भुगतान हेतु राशि की अनुपलब्धता रहने पर नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा अतिरिक्त बजट का प्रावधान कराने हेतु वित्त विभाग से माँग की जाएगी।”

5. उक्त निर्णय के आलोक में वित्तीय वर्ष 2017-18 में तृतीय अनुपूरक आगणन से ₹81.00 करोड़ (एकासी करोड़ रु०) मात्र प्राप्त करते हुए दिनांक- 31.03.2015 तक समायोजन के पश्चात् अवशेष बकाए विद्युत विपत्रों के भुगतान हेतु विभागीय राज्यादेश सं०- 165, दिनांक- 28.03.2018 द्वारा स्वीकृत करते हुए आवंटनादेश सं०- 166, दिनांक- 28.03.2018 द्वारा आवंटित की गई।

6. चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में निदेशक (प्रशासन), बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड के पत्रांक- 550, दिनांक- 19.03.2019 द्वारा राज्य के विभिन्न नगर निकायों में दिनांक- 28.02.2019 तक के बकाए विद्युत विपत्र के रूप में कुल ₹55357.00 लाख (पाँच सौ तिरपन करोड़ संतावन लाख रु०) मात्र उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है, जिसमें से दक्षिण बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड का बकाया ₹42747.00 लाख उत्तर बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड का बकाया ₹12610.00 लाख प्रतिवेदित किया गया है।

7. चूँकि नगर निगम, पटना एवं मुजफ्फरपुर में बकाए विद्युत विपत्र तथा विद्युत कम्पनियों पर बकाए होल्डिंग टैक्स की राशि की जाँच चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा की गई है, जिसपर अलग से कार्रवाई की जा रही है। इसलिए नगर निगम, पटना एवं मुजफ्फरपुर के बकाए विद्युत विपत्रों पर विचार नहीं किया जा रहा है।

8. तदनुसार उक्त वर्णित स्थिति एवं निदेशक (प्रशासन), बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड द्वारा किए गए अनुरोध के आलोक में चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में तत्काल तृतीय अनुपूरक आगणन से प्राप्त ₹10000.00 लाख (सौ करोड़ रु०) मात्र राज्य के विभिन्न नगर निकायों के बकाए विद्युत विपत्रों के भुगतान हेतु निम्न तालिका के स्तम्भ- 4 के अनुरूप निम्नवत् स्वीकृत की जाती है :-

दक्षिण बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड

(राशि रुपये में)

क्र० सं०	नगर निकाय का नाम	दिनांक- 28.02.2019 तक बकाए विद्युत विपत्र की राशि	तत्काल स्वीकृत कुल बकाए विद्युत विपत्र की राशि
1	2	3	4
1	बिहारशरीफ नगर निगम	3,54,06,419.00	3,54,06,419.00
2	आरा नगर निगम	28,71,233.00	28,71,233.00
3	गया नगर निगम	7,87,38,618.00	7,87,38,618.00
4	मुंगेर नगर निगम	2,57,18,154.00	2,57,18,154.00
5	नगर परिषद बाढ़	1,56,47,000.00	1,56,47,000.00
6	नगर परिषद खगौल	3,09,00,060.00	3,09,00,060.00

7	नगर परिषद दानापुर	4,28,62,016.00	4,28,62,016.00
8	नगर परिषद मोकामा	6,21,402.00	6,21,402.00
9	नगर परिषद मसौढ़ी	65,10,809.00	65,10,809.00
10	नगर परिषद फुलवारीशरीफ	5,13,77,037.00	5,13,77,037.00
11	नगर परिषद बख्तियारपुर	2,98,434.00	2,98,434.00
12	नगर परिषद फतुहा	7,68,669.00	7,68,669.00
13	नगर परिषद डुमरौव	95,06,048.00	95,06,048.00
14	नगर परिषद सासाराम	4,88,22,529.00	4,88,22,529.00
15	नगर परिषद डेहरी डालमियानगर	7,92,892.00	7,92,892.00
16	नगर परिषद विक्रमगंज	43,74,289.00	43,74,289.00
17	नगर परिषद भभुआ	45,06,000.00	45,06,000.00
18	नगर परिषद हिलसा	63,62,924.00	63,62,924.00
19	नगर परिषद जहानाबाद	29,39,761.00	29,39,761.00
20	नगर परिषद अरवल	33,51,901.00	33,51,901.00
21	नगर परिषद औरंगबाद	2,74,96,616.00	2,74,96,616.00
22	नगर परिषद दाउदनगर	10,31,573.00	10,31,573.00
23	नगर परिषद नवादा	21,05,357.00	21,05,357.00
24	नगर परिषद सुल्तानगंज	47,90,997.00	47,90,997.00
25	नगर परिषद बाँका	1,63,78,188.00	1,63,78,188.00
26	नगर परिषद जमालपुर	31,64,251.00	31,64,251.00
27	नगर परिषद लखीसराय	61,33,000.00	61,33,000.00
28	नगर परिषद शेखपुरा	1,21,70,186.00	1,21,70,186.00
29	नगर परिषद बरबिघा	4,59,628.00	4,59,628.00
30	नगर परिषद जमुई	45,70,449.00	45,70,449.00
31	नगर पंचायत मनेर	4,19,141.00	4,19,141.00
32	नगर पंचायत खुसरूपुर	52,90,706.00	52,90,706.00
33	नगर पंचायत विक्रम	16,82,375.00	16,82,375.00
34	नगर पंचायत नौबतपुर	7,01,825.00	7,01,825.00
35	नगर पंचायत पिरो	53,94,340.00	53,94,340.00
36	नगर पंचायत बिहियाँ	1,99,93,193.00	1,99,93,193.00
37	नगर पंचायत जगदीशपुर	90,16,044.00	90,16,044.00
38	नगर पंचायत कोईलवर	1,38,24,440.00	1,38,24,440.00
39	नगर पंचायत शाहपुर	66,20,263.00	66,20,263.00
40	नगर पंचायत कोआथ	10,40,351.00	10,40,351.00
41	नगर पंचायत नोखा	13,47,432.00	13,47,432.00
42	नगर पंचायत नासरीगंज	1,53,79,328.00	1,53,79,328.00
43	नगर पंचायत कोचस	22,19,053.00	22,19,053.00
44	नगर पंचायत मोहनियाँ	13,58,500.00	13,58,500.00
45	नगर पंचायत इस्लामपुर	8,58,286.00	8,58,286.00
46	नगर पंचायत सिलाव	94,84,202.00	94,84,202.00
47	नगर पंचायत राजगीर	3,54,07,737.00	3,54,07,737.00
48	नगर पंचायत बोधगया	10,98,95,825.00	10,98,95,825.00
49	नगर पंचायत शेरघाटी	22,27,568.00	22,27,568.00
50	नगर पंचायत टेकारी	18,31,849.00	18,31,849.00
51	नगर पंचायत मखदुमपुर	25,39,866.00	25,39,866.00
52	नगर पंचायत रफीगंज	15,54,935.00	15,54,935.00
53	नगर पंचायत नवीनगर	1,51,779.00	1,51,779.00
54	नगर पंचायत वारसलीगंज	20,86,844.00	20,86,844.00
55	नगर पंचायत हिसुआ	13,89,920.00	13,89,920.00

56	नगर पंचायत नवगछिया	50,96,603.00	50,96,603.00
57	नगर पंचायत कहलगाँव	2,56,41,449.00	2,56,41,449.00
58	नगर पंचायत अमरपुर	5,44,609.00	5,44,609.00
59	नगर पंचायत हवेली खडगपुर	45,63,823.00	45,63,823.00
60	नगर पंचायत बड़हिया	48,40,000.00	48,40,000.00
61	नगर पंचायत झांझा	1,03,31,907.00	1,03,31,907.00
योग (क)		75,34,10,633.00	75,34,10,633.00

उत्तर बिहार पावर डिस्ट्रिब्यूशन कम्पनी लिमिटेड

क्र० सं०	नगर निकाय का नाम	दिनांक- 28.02.2019 तक बकाए विद्युत विपत्र की राशि	तत्काल स्वीकृत कुल बकाए विद्युत विपत्र की राशि
1	2	3	4
1	नगर निगम, छपरा	2,43,89,159.00	2,43,89,159.00
2	नगर निगम, बेगूसराय	22,43,470.00	22,43,470.00
3	नगर निगम, पूर्णियाँ	3,13,73,011.00	2,74,96,536.00
4	नगर निगम, कटिहार	4,43,04,064.00	4,43,04,064.00
5	नगर परिषद्, हाजीपुर	12,63,94,390.00	12,63,94,390.00
6	नगर परिषद्, मधेपुरा	2,17,61,748.00	2,17,61,748.00
योग (ख)		25,04,65,842.00	24,65,89,367.00
योग (क+ख)		1,00,38,76,475.00	1,00,00,00,000.00

अर्थात् कुल स्वीकृत राशि ₹10000.00 लाख (सौ करोड़ रु०) मात्र।

इसके लिए अलग से आवंटन आदेश निर्गत किया जायेगा।

9. उक्त स्वीकृत ₹10000.00 लाख (सौ करोड़ रु०) मात्र के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी नगर आयुक्त, संबंधित नगर निगम/कार्यपालक पदाधिकारी, संबंधित नगर परिषद् एवं संबंधित नगर पंचायत होंगे, जिनके द्वारा वित्त विभाग के परिपत्र सं०- 2561, दिनांक-17.04.98, पत्रांक- 354, दिनांक- 28.03.2018, पत्रांक- 662, दिनांक- 02.08.2018 एवं पत्रांक- 257, दिनांक- 26.02.2019 (तृतीय अनुपूरक) में निहित अनुदेशों के आलोक में की जायेगी। नगर आयुक्त, संबंधित नगर निगम/कार्यपालक पदाधिकारी, संबंधित नगर परिषद् एवं संबंधित नगर पंचायत द्वारा निकासी के उपरांत राशि का हस्तांतरण संबंधित विद्युत प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता को ड्राफ्ट/RTGS के माध्यम से हस्तांतरित कर दी जायेगी। राशि की निकासी किसी भी परिस्थिति में AC विपत्र पर नहीं की जायेगी।

10. निकासी के उपरांत राशि का संधारण पी०एल० खाता में किया जाएगा। तदोपरांत विभागीय पत्रांक- 1820, दिनांक- 29.03.2019 के आलोक में बकाए विद्युत विपत्रों के जाँचोपरांत विद्युत कम्पनियों को भुगतान किया जाएगा।

11. उपर्युक्त स्वीकृत राशि जिस मद में आवंटित है, उसी मद में व्यय होगी। किसी भी परिस्थिति में विचलन द्वारा अन्य मद में व्यय नहीं की जायेगी।

12. स्वीकृत राशि की निकासी स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अंतर्गत माँग सं०- 48, मुख्य शीर्ष- 2217-शहरी विकास, उपमुख्य शीर्ष- 80-सामान्य, लघु शीर्ष- 191-नगर निगम को सहायता, उप शीर्ष-


0003-नगर निगम के जिम्मे बकाए विद्युत विपत्र के भुगतान हेतु सहायक अनुदान, विपत्र कोड सं०-
48-2217801910003 विषय शीर्ष- 0003.31.06 सहायक अनुदान-गैर वेतन मद से तृतीय अनुपूरक
आगणन से प्राप्त बजट उपबंध से की जाएगी।

13. स्वीकृत राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित नगर निकायों के कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा
विहित प्रपत्र- 42A में अन्य संबंधित कागजातों सहित विभाग को उपलब्ध कराया जाएगा।

14. आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या 2ब०/बजट-14-16/14 के पृष्ठ सं०-
.....169...../टि० पर दिनांक-30/03/2019 को प्राप्त है एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन पृष्ठ सं०-
.....169...../टि० पर दिनांक-30/03/2019 को प्राप्त है।

15. इसकी सूचना प्रधान सचिव, ऊर्जा विभाग/वित्त (बजट शाखा) विभाग/प्रबंध निदेशक, साउथ
बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड एवं नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड/निदेशक
(प्रशासन), बिहार स्टेट पावर (होलिडिंग) कम्पनी लिमिटेड/नगर आयुक्त, संबंधित नगर निगम/कार्यपालक
पदाधिकारी, संबंधित नगर परिषद एवं संबंधित नगर पंचायत/कोषागार पदाधिकारी, संबंधित कोषागार एवं
विभागीय निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, को भी दी जा रही है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,




सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक-2ब०/बजट-14-16/14 174 /न०वि० एवं आ०वि०, पटना, दिनांक-30/3/19

प्रतिलिपि:- प्रधान सचिव, ऊर्जा विभाग/वित्त (बजट शाखा) विभाग, पटना/कोषागार,
पदाधिकारी, संबंधित कोषागार/निदेशक (प्रशासन), बिहार स्टेट पावर (होलिडिंग) कम्पनी लिमिटेड/नगर
आयुक्त, संबंधित नगर निगम/कार्यपालक पदाधिकारी, संबंधित नगर परिषद एवं संबंधित नगर
पंचायत/प्रबंध निदेशक, साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड एवं नॉर्थ बिहार पावर
डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड/स्थानीय लेखा परीक्षक, पटना/आई०टी० प्रबंधक, नगर विकास एवं आवास
विभाग/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा- 02 एवं 07, नगर विकास एवं आवास विभाग/कार्यवाहक सहायक
को 2 प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. कोषागार पदाधिकारी से अनुरोध है कि आवंटित राशि से अधिक की निकासी किसी भी हालत में
नहीं होने दी जाय।



सरकार के विशेष सचिव।